सीबीआई, सरकार और विधि अधिकारी

अरुण जेटली
राज्य सभा में विपक्ष के नेता

कोयला ब्लॉक आवंटन पर उच्चतम न्यायालय में दी गई स्थिति रिपोर्ट तैयार कराने में कानून मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के हस्तक्षेप का हाल का घटनाक्रम सीबीआई के कामकाज में सरकार के हस्तक्षेप को लेकर अक्सर लगने वाले आरोपों की पुष्टि करता है। पिछले कुछ वर्षों में सीबीआई का नियंत्रण धीरे–धीरे सरकार से सत्तारुढ़ पार्टी के पदाधिकारियों तक पहुंच गया है।

सीबीआई एक ऐसी एजेंसी थी, जिसका गठन केन्द्र सरकार की जांच शाखा के रुप में दिल्ली विशेष पुलिस (स्थापना) अधिनियम,1946 के अंतर्गत किया गया था। इसका मुख्य काम केन्द्र सरकार के अधिकारियों और अन्य सरकारी शाखाओं के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना था। नियुक्ति, स्थानांतरण और भविष्य के लिए लालच देकर, सरकार ने सीबीआई की निष्पक्षता और स्वायत्ता को खत्म कर दिया। जब लोकपाल के गठन की मांग उठ रही थी, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का अनुसरण करते हुए अपने दो साथियों श्री राजीव प्रताप रुड़ी और भूपेन्द्र यादव के साथ, मैंने सीबीआई की स्वायत्ता और निष्पक्षता के मुद्दे पर राज्य सभा की प्रवर समिति के सामने एक नोट रखा। इस नोट में हमने निम्न बातों का जिक्र किया :–

''उपरोक्त बातों के आधार पर हमारा स्पष्ट मत है कि राजनैतिक प्रभाव के अत्यधिक दुरुपयोग को देखते हुए सीबीआई अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। अतः जरुरत बताई गई कि भ्रष्टाचार से जुड़े सभी मामलों में सीबीआई का नियंत्रण कार्मिक विभाग, भारत सरकार से

लोकपाल को दे दिया जाना चाहिए। वैकल्पिक तौर पर, सीबीआई की निष्पक्षता बनाए रखने और इसे राजनैतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए हमने अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सुझाव दिए थे :–

- सीबीआई की दो शाखाएं होंगी। सीबीआई का निदेशक समूचे संगठन का प्रमुख होगा। उसके नीचे एक अलग अभियोजन निदेशालय होना चाहिए।
- सीबीआई की जांच शाखा और अभियोजन शाखा स्वतंत्र रुप से काम करे।
- सीबीआई निदेशक और अभियोजन निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और लोकपाल के चैयरमैन का कॉलेजियम करे।
- सीबीआई निदेशक और अभियोजन निदेशक दोनों का कार्यकाल एक निश्चित अवधि का होना चाहिए।
- सीबीआई और अभियोजन निदेशक दोनों की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें दोबारा कोई पद देने के बारे में विचार न किया जाए।
- लोकपाल द्वारा निर्दिष्ट मामलों में सीबीआई के निरीक्षण और निर्देश का अधिकार लोकपाल के पास ही रहना चाहिए।
- अगर कोई अधिकारी किसी मामले की जांच कर रहा है और किसी कारणवश उसका तबादला किया जाना है, तो इससे पहले लोकपाल की अनुमति जरुरी होनी चाहिए।
- सीबीआई की तरफ से उपस्थिति होने वाले और उसे सलाह देने वाले वकीलों का स्वतंत्र पैनल होना चाहिए। लोकपाल की मंजूरी लेने के बाद अभियोजन निदेशालय उनकी नियुक्ति कर सकता है।''

लेकिन प्रवर समिति ने हमारे सुझावों पर गौर नहीं किया और केवल निम्नलिखित सुझावों को स्वीकार किया।

'' फलस्वरुप, विचार–विमर्श के दौरान आए विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की :–

i. एक निदेशक के अंतर्गत सीबीआई का एक पृथक अभियोजन निदेशालय होगा जो सीबीआई के निदेशक के नीचे काम करेगा। सीबीआई का निदेशक समूचे संगठन का प्रमुख होगा।

ii. सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति एक कॉलेजियम करेगा जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।

iii. अभियोजन निदेशक की नियुक्ति सीवीसी करेगा।

iv. अभियोजन निदेशक और सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल एक निश्चित अवधि को होगा, जैसाकि सरकार ने स्पष्ट रुप से बताया है।

v. लोकपाल द्वारा निर्दिष्ट मामलों में सीबीआई के निरीक्षण और निर्देश का अधिकार लोकपाल के पास ही रहना चाहिए।

vi. लोकपाल द्वारा निर्दिष्ट मामलों की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों का तबादला लोकपाल की अनुमति से होगा।

vii. लोकपाल द्वारा निर्दिष्ट मामलों के लिए, सीबीआई लोकपाल की इजाजत से सरकार के वकीलों के अलावा वकीलों का एक पैनल नियुक्त कर सकती है।''

मंत्रिमंडल ने इसके आगे प्रवर समिति की सिफारिशों में बदलाव कर दिया और इसमें तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए गए। वे हैं :–

क. किसी भ्रष्ट सरकारी अधिकारी के खिलाफ शिकायत पर विचार करने से पहले लोकपाल को उसे नोटिस देना होगा।

ख. लोकपाल की मंजूरी के बिना सरकार जांच अधिकारी को बदल सकती है।

ग. सीबीआई निदेशकों से मन माफिक काम करवाने के लिए भविष्य में सरकार में दोबारा कोई पद देने का प्रलोभन दिया जा सकता है।

सरकार लोकपाल कानून के बारे में गंभीर नहीं है। मेरे और भाजपा के दो अन्य सदस्यों द्व ारा दिये गए सुझाव सहज रुप से तर्कसंगत हैं और इससे संस्था की स्वायत्ता और स्वतंत्रता बढ़ेगी।

हमारी सिफारिशों में, हमने सुझाव दिया था कि सरकार की तरफ से उपस्थित होने वाला और उसे सलाह देने वाला वकीलों का पैनल स्वतंत्र होना चाहिए। उसकी नियुक्ति लोकपाल से सलाह–मशविरा करके अभियोजन निदेशक द्वारा की जाए। उस समय हमने एटॉर्नी जनरल और अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल के बीच इतने खराब द्वंद की कल्पना नहीं की थी। फिर भी, हमें इस तथ्य की जानकारी थी कि संवेदनशील मामलों में विधि अधिकारियों के माध्यम से सरकार काफी हद तक राजनैतिक जोड़–तोड़ करती है। विधि अधिकारियों का कद और प्रतिष्ठा धीरे–धीरे कम हो गई है। इसके साथ समझौता किया जा रहा है। सरकार या अदालतों के संवैधानिक सलाहकार बनने की बजाय, वे सरकार की तरफ से राजनैतिक जोड़–तोड़ करने का खिलौना बनकर रह गए हैं। यूपीए सरकार के अंतर्गत नियुक्त

अनेक विधि अधिकारियों ने अपने पदों की मर्यादा के साथ समझौता कर लिया है। जो सही थे उन्होंने काम करने के बजाय इस्तीफा देना उचित समझा। वर्तमान विवाद विधि अधिकारियों की स्वतंत्रता और स्वायत्ता से जुड़ा मौजूदा विवाद ऐसे ही है जैसे सीबीआई में हुआ है। चूंकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें संस्थाओं का महत्व निरंतर कम हो रहा है इसलिए जरुरी है कि जब तक हम इन संस्थाओं का पुनर्निर्माण नहीं करते तब तक वकीलों का एक ऐसा पैनल होना चाहिए जो निष्पक्ष हो और सीबीआई को सलाह दे सके और उनका मुकदमा लड़ सके। इन वकीलों की नियुक्ति लोकपाल की पूर्व स्वीकृति के साथ अभियोजन निदेशक द्व ारा की जानी चाहिए।

अधिकतर मामलों में जहां सरकार या सरकारी कर्मचारी आरोपी होता है, सरकार वकील का चयन नहीं कर सकती। यूपीए सरकार ने विधि अधिकारियों की संस्था की गरिमा कम की है। अपनी गरिमा खो देने वाली संस्थाओं के कारण आज यूपीए सरकार को शर्मसार होना पड़ा है। उच्चतम न्यायालय में सरकार की इस मामले में जो खिंचाई की गई है वह एकदम उचित है। हीला हवाली करने वाले को जरुर जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। यह एक मौका है जब सरकार अपनी जिम्मेदारी का अहसास करे और लोकपाल विधेयक के बारे में बनी प्रवर समिति में हमारे द्वारा दिये गए सुझावों को स्वीकार करे।

(30 अप्रैल 2013 को लिखा गया लेख)